

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 2026

का.आ. 5868(अ).— केंद्र सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 2 के खंड (vii) और (xxiii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या का .आ.1055 (अ) दिनांक 19 अक्टूबर, 2001 में निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 238 ज़ेडज़ेडज़ेडआर और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्याएँ और प्रविष्टियाँ शामिल की जाएंगी, अर्थात्:-

क्र. स.	मादक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ का नाम (अंतर्राष्ट्रीय गैर-स्वामित्व नाम (आईएनएन))	अन्य गैर-स्वामित्व नाम	रासायनिक नाम	कम मात्रा (ग्राम में)	व्यावसायिक मात्रा (ग्राम/किलो में)
1	2	3	4	5	6
"238ज़ेडज़ेडज़ेडएस	एन-पाइरोलिडिनो आइसोटोनिटाज़ीन (आइसोटोनिटाज़ेपाइन)		5-नाइट्रो-2-[4-(2-प्रोपॉक्सी)बेंज़िल]-1-[2-(पाइरोलिडिन-1-इल)एथिल]-1एच-बेंज़ो[डी]इमिडाज़ोल	0.0017 ग्राम	0.085 ग्राम
238ज़ेडज़ेडज़ेडटी	एन-डेसेथिल ईटोनिटाज़ीन		2-[(4-इथाक्सीफेनिल)मिथाइल]-एन-इथाइल-5-नाइट्रो-1एच-बेंज़िमिडाज़ोल-1-एथेनामीन	0.0005 ग्राम	0.025 ग्राम
238ज़ेडज़ेडज़ेडयू		एमडीएमबी-फुबिनाका	मिथाइल 2-[[1-(4-फ्लोरोबेंज़िल) इंडेज़ोल-3-कार्बोनिल]अमीनो]-3,3 डाइमिथाइलब्यूटेनोएट	0.0025 ग्राम	0.125 ग्राम"

2. यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. एन०-12012/2/2026-एनसी-II-डीओआर]

मोन्टी कुमार झा, अवर सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 1055 (अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 2001 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार का.आ. 907 (अ), दिनांक 18 फरवरी, 2026 द्वारा संशोधित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2026

S.O. 5868(E).— In exercise of the powers conferred by clause (viia) and (xxiiia) of section 2 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 1055 (E), dated the 19th October, 2001, namely:-

In the said notification, in the Table, after serial number 238 ZZZR and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall respectively be inserted, namely: -

Sl. No.	Name of Narcotic Drug and Psychotropic Substance (International non-proprietary names (INN))	Other non-proprietary names	Chemical name	Small Quantity (in gm.)	Commercial Quantity (in gm./kg.)
1	2	3	4	5	6
"238ZZZS	N-Pyrrolidino Isotonitazene (Isotonitazepyne)		5-Nitro-2-[4-(2-propoxy)benzyl]-1-[2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl]-1H-benzo[d]imidazole	0.0017 gm	0.085 gm
238ZZZT	N-Desethyl Etonitazene		2-[(4-Ethoxyphenyl)methyl]-N-ethyl-5-nitro-1H-benzimidazole-1-ethanamine	0.0005 gm	0.025 gm
238ZZZU		MDMB-FUBINACA	Methyl 2-[(1-(4-fluorobenzyl)indazole-3-carbonyl)amino]-3,3Dimethylbutanoate	0.0025 gm	0.125 gm"

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No N-12012/2/2026-NC-II-DOR]

MONTY KUMAR JHA, Under Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1055 (E), dated the 19th October, 2001 and lastly amended vide number S.O. 907 (E), the 18th February, 2026.